संख्या-- 990 /69-1-12-14(97)/07

प्रेषक,

प्रवीर कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

994/दा5
13/7/12

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग। लखनऊ : दिनांक : 12 जुलाई, 2012

विषय-- जिला नगरीय विकास अभिकरणों द्वारा कार्य निष्पादन की वित्तीय सीमा कम किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-527/07/76/एक/ 12-13, दिनांक 05 जून, 2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0एच0एस0डी0पी0/बी0एस0यू0पी0 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या--वीआईपी-30/69-1-09-14(97)/07, दिनांक 28.08.2009 द्वारा रू0 4.00 करोड़ तक की परियोजनाओं में निर्माण कार्य जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा किये जा सकने की अनुमति प्रदान की गई थी। इससे अन्य विभागीय कार्यों में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की क्षमता का पूर्णरूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व की भाँति रू0 2.00 करोड़ तक की परियोजनाओं में निर्माण कार्य जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा किया जा सकेगा। उक्त सीमा से अधिक के कार्य वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-667/दस-06-89/04, दिनांक 06 जून, 2006 व उसके अनुवर्ती शासनादेशों में वर्णित कार्यदायी संस्थाओं से ही करायें जाये। शासनादेश संख्या-वीआईपी 30/69-1-09-14(97)/07, दिनांक 28 अगस्त, 2009 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

परियोजना अधिकारी
13/7/12

निदेशक सूडा
महोदय से आग्रह है कि कृपया
विभाग की वेबसाइट पर
प्रकाशित कराने का कष्ट करें
C.I.NR.A.G.O
12/7/2012

(आर0 पी0 सिंह)
उप सचिव
नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग
उ0प्र0 शासन।

संयुक्त निदेशक
12/7